<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।</u>

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–227 सन् 2026

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.01000701 2026

1.गायत्री देवी उम्र लगभग 24 वर्ष
2.रानी उर्फ बन्दना उम्र लगभग 18 वर्ष पुत्रीगण रामलाल
3.फोटो उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्री रमाशंकर
4.राजधानी उर्फ संजना उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्री रामलाल
5.अमृता उर्फ अमिरती उम्र लगभग 74 वर्ष पत्नी रमाशंकर
6.सुषमा उम्र लगभग 36 वर्ष पत्नी सुनील, समस्त निवासीगण ग्राम बंजारी, थाना गोपीगंज, जनपद–भदोही। ....आवेदिकागण/अभियुक्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–49 सन् 2026
धारा–191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(3)भारतीय न्याय संहिता।
<u>थाना–गोपीगंज, जनपद–भदोही।</u>

<u>आदेश</u>

1. आवेदिकागण/अभियुक्तागण–गायत्री देवी, रानी उर्फ बन्दना पुत्रीगण रामलाल, फोटो पुत्री रमाशंकर, राजधानी उर्फ संजना पुत्री रामलाल, अमृता उर्फ अमिरती पत्नी रमाशंकर एवं सुषमा पत्नी सुनील की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–49 सन् 2026, धारा–191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(3)भारतीय न्याय संहिता, थाना गोपीगंज, जनपद– भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा केस डायरी एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा लल्लन गौतम ने थानाध्यक्ष, थाना गोपीगंज को दिनांक 02.02.2026 को लिखित तहरीर देकर कथन किया कि वह निवासी बंजारी थाना गोपीगंज जनपद भदोही का स्थायी निवासी है। दिनांक 02.02.2026 समय 3.30 बजे दिन में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के रमाशंकर पुत्र नरोत्तम, राजधानी, गायत्री, रानी पुत्रीगण रामलाल, अंकुश पुत्र रामलाल, फोटो पुत्री रमाशंकर, अमृता पत्नी रमाशंकर, सुनील कुमार पुत्र रमाशंकर, डाक्टर पुत्र रमाशंकर, सुषमा देवी पत्नी सुनील कुमार उसके दरवाजे पर चढ़ आये

और उसकी लड़की खुशबू को माँ–बहन की गंदी–गंदी गाली गुप्ता देने लगे। वादी की पुत्री खुशबू गाली देने से मना किया तो सभी विपक्षीगण उसकी पुत्री खुशबू को हांथ मुक्का व लात से मारने लगे और बाल पकड़कर घसीटते हुए अपने घर ले गये और धारदार हथियार गड़ांसा से खुशबू को जान से मारने की नियत से धारदार गड़ांसा से मारे। शोर सुनकर अनीता, बबली बचाने आयी तो उन्हें भी मारपीट कर चोटें पहुंचायी और भविष्य में जान से मारने की धमकी दी। बच्चन , रीना पत्नी सच्चन, बिन्दू देवी पत्नी हरिश्चन्द भी बचाने आयी तो उन्हें भी लाठी डंडा ईंट से मारकर चोटें पहुंचायी। आस–पास के कई लोग आ गये, घटना को देखा बीच बचाव किया। विपक्षीगण के मारने से काफी चोट आयी है। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया। वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 02.02.2026 को समय 23.47 बजे थाना गोपीगंज जनपद भदोही पर अभियुक्तगण रमाशंकर, राजधानी, गायत्री, रानी, अंकुश, फोटो, अमृता, सुनील कुमार, डाक्टर व सुषमा को नामित करते हुए मुकदमा अपराध संख्या–0049 सन् 2026, धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 109 (1) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. आवेदिकागण/अभियुक्तागण की ओर से आधार अग्रिम जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि दिनांक 02.02.2026 को समय लगभग 3.00 बजे के आस पास आवेदिकागण के परिवार की छोटी बच्ची अन्नू प्राथमिक विद्यालय बंजारी से पढ़कर घर वापस आ रही थी और बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोस के लल्लन पुत्र स्व०जयराम, बच्चन, भाईलाल पुत्रगण स्व०बाला, लखन्दर, सचिन पुत्रगण हरिश्चन्द्र, विकास गौतम पुत्र तुलसी, पवन पुत्र लल्लन, चन्दू, भोला पुत्रगण महेश, रामगया पुत्र स्व०सत्तन, कोईल व करिया पुत्रगण लक्षनधारी मारने लगे। उक्त विपक्षीगण को मारने से मना किया तो विपक्षीगण ने उन्हें धारदार हथियार, लाठी डंडा व ईंट से मारकर गंभीर चोटें पहुंचायी है तथा विपक्षीगण के मारने से हांथ, पैर व शरीर के अन्य जगहों पर चोट आयी, जिसका चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल गोपीगंज में हुआ है। वादी मुकदमा लल्लन गौतम से आवेदिकागण के बीच जमीन का विवाद चला आ रहा है, इसी रंजिशवश जानबूझकर आवेदिकागण को उपरोक्त मुकदमे में नामित कराया है। वादी मुकदमा द्वारा जिस प्रकार से घटना के बारे में उल्लेख किया है, वैसी कोई घटना आवेदिकागण द्वारा कारित नहीं किया गया है, बल्कि वादी मुकदमा व उसके परिवार के अन्य लोग मारपीट रहे थे और आवेदिकागण के बीच बचाव करने पर धारदार हथियार से मारकर प्राणघातक चोटें पहुंचायी गयी है, जिसका दवा इलाज अभी तक चल रहा है। आवेदिका राजधानी वर्तमान में कक्षा–12 वीं की छात्रा है, विद्यालय में अध्यनरत रहते हुए इण्टरमीडिएट की परीक्षा दे रही है। वादी मुकदमा ने जानबूझकर उसे नामित कराया है। आवेदिकागण के द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों को किसी भी हथियार से व किसी प्रकार से मारकर चोटें नहीं पहुंचायी गयी है, बल्कि सत्यता यह है कि वादी मुकदमा व उनके सहयोगी सचिन गौतम के द्वारा आवेदिकागण व उनके परिवार को लाठी–डंडा, धारदार हथियार व चाकू से मारकर गम्भीर चोटें पहुंचायी गयी है, जिससे आवेदिकागण को गम्भीर चोटें आयीं। आवेदिका जान बचाने की नियत से घर में भागी तो सभी विपक्षीगण घर में घुसकर मारे पीटे, तोड़फोड़ किए व बेईज्ज़त किया गया। आवेदिकागण निर्दोष हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदिकागण पढ़ने लिखने वाली व गृहिणी महिला हैं। अतः उन्हें

अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए काउन्टर शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दिनांक 02.02.2026 को 3:30 बजे दिन पुरानी रंजिश को लेकर वादी के गाँव के रमाशंकर, राजधनी, गायत्री, रानी, रामलाल, अंकुश, फोटो, अमृता, सुनील कुमार, डाक्टर, सुषमा, आपस में एक राय होकर अपने अपने हाथ में लाठी डण्डा लेकर वादी के दरवाजे पर चढ़ आये और वादी की पुत्री को गाली देने लगे वादी की पुत्री ने रमाशंकर वगैरह को गाली देने से मना किया तो सभी अभियुक्तगण वादी की पुत्री खुशबू को हाथ लात मुक्का से मारने पीटने लगे और बाल पकड़कर घसीटते हुये घर ले गये और धारदार गड़ासा से खुशबू को जान से मारने की नियत से गरदन पर गड़ासा से मारे शोर सुनकर अनीता, बबली, बच्चन, रीना, बिन्दू देवी आयी तो रमाशंकर वगैरह इन लोगो को भी लाठी डण्डा ईट पत्थर से मारकर चोटे पहुँचायी घटना को आस पास के लोगो ने देखा व बीच बचाव किया अभियुक्तगण के मारने पीटने से वादी व उसके परिवार के लोगो को काफी चोटे आयी है जिसका मुकदमा वादी ने उसी दिन दिनांक 02.02.2026 को थाना गोपीगंज में दर्ज कराया है और चोटहिलो का डाक्टरी मुआयना जरिये पुलिस सरकारी अस्पताल गोपीगंज में हुआ है। वादी मुकदमा की पुत्री खुशबू की चोटो की गम्भीरता को देखते हुये सरकारी अस्पताल गोपीगंज के डाक्टर ने खुशबू को दवा इलाज आदि के लिये जिला अस्पताल ज्ञानपुर रेफर किया जिला अस्पताल ज्ञानपुर के डाक्टर ने खुशबू की चोट की गम्भीरता को देखते हुये खुशबू को बी०एच०यू० ट्रामा सेन्टर वाराणसी रेफर किया जहाँ खुशबू लगभग 10 दिन भर्ती रही और खुशबू का दवा इलाज आज भी हो रहा है और मरणासन्न अवस्था में आज भी पड़ी हुई है। वादी ने अन्नू व अभियुक्तगण को लाठी डण्डा ईट पत्थर से मारा पीटा नही था अभियुक्तगण द्वारा सब फर्जी व झूठी कहानी बनायी गयी है। वादी से व अभियुक्तगण से कोई भी जमीन का दीवानी मुकदमा नही चल रहा है न ही जमीन का कोई विवाद ही है अभियुक्तगण द्वारा अपने जमानत के दफा 4 में जो बाते कही गयी है वह सब सरासर बनावटी व झूठी है। अभियुक्तगण के मारने से वादी की लड़की खुशबू को काफी गम्भीर व प्राणघातक चोटे आयी है। अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत मंजूर होने पर जमानत का दुरूपयोग करेगे व मुकदमें का सही ढंग से विचारण नही होने देगे तथा मुकदमें के गवाहों को प्रभावित करेगे। अतः अभियुक्तागण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदिकागण/अभियुक्तागण पर यह आरोप है कि अभियुक्तागण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के दरवाजे पर चढ़ आये और उसकी लड़की खुशबू को माँ–बहन की गंदी–गंदी गाली गुप्ता देने लगे, जब उसने मना किया तो खुशबू को हांथ मुक्का लात से मारने लगे तथा सभी लोग पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर में ले गये और धारदार गड़ांसा से खुशबू को जान से मारने की नियत से गर्दन पर वार गड़ांसा से मारे। केस डायरी के पर्चा 5 में मजरुबा खुशबू कुमारी की आघात आख्या में चोट संख्या–1 विदीर्ण घाव 7 से०मी० x2.5 से०मी०पीछे गर्दन के बांयी तरफ नुकीला किनारे मसल्स एक्सपोज के साथ शार्प इंजरी तथा चोट संख्या–(2)नीलगू निशान 3 से०मी० x2 से०मी० दाहिने घुटने पर साधारण प्रकृति की चोट तथा मजरुब लल्लन

गौतम की आघात आख्या में चोट संख्या–1 विदीर्ण घाव 2 से०मी० x1 से०मी० माथे के बांयी ओर भौं के ऊपर, चोट संख्या–2 नीलगू निशान 2 से०मी० x0.5 से०मी० माथे पर बांयी तरफ आंख पर तथा चोट संख्या–3 नीलगू निशान 0.5 से०मी० x0.2 से०मी० दाहिने हांथ में तर्जनी उंगली पर। चोटहिल बच्चन गौतम की आघात आख्या में कुल चार चोटों के आने की अंकना की गयी है, जिसमें चोट संख्या–1 व 2 नीलगू निशान, चोट संख्या–3 दर्द की शिकायत तथा चोट संख्या–4 को सूजनयुक्त चोट की अंकना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिकागण/अभियुक्तागण की तरफ से भी अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–50 सन् 2026 की छाया प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल की गयी है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम रमाशंकर गौतम अंकित है और यह मुकदमा लल्लन गौतम, बच्चन, सचिन व पवन गौतम के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत कराया गया है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.02.2026 को समय 08:07 बजे की है तथा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.02.2026 को समय 23:47 बजे धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अंकित कराया गया है। अभियुक्तागण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ राजधानी, सुषमा, गायत्री, फोटो को आयी चोटों की छाया चित्र प्रतियां दाखिल की गयी हैं, जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा का कथन है कि सभी चोटें फर्जी व बनावटी हैं।

7. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तागण को बिना किसी आधार के प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित किया गया हो। आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दस वर्ष से अधिक अथवा आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान है।

8. यहाँ पर न्याय दृष्टांत **पी०चिदम्बरम विरुद्ध डायरेक्टरेट आफ इनफोर्समेण्ट, (2020) 13 SCC 719** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत वहाँ पर दी जानी चाहिए, जहाँ पर आरोपित तथ्य बिना किसी आधार के व गलत हों। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप आधारहीन व गलत हैं।

9. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर आवेदिकागण/अभियुक्तागण की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार आवेदिकागण/अभियुक्तागण गायत्री देवी, रानी उर्फ बन्दना पुत्रीगण रामलाल, फोटो पुत्री रमाशंकर, राजधानी उर्फ संजना पुत्री रामलाल, अमृता उर्फ अमिरती पत्नी रमाशंकर एवं सुषमा पत्नी सुनील की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–25.03.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.03.25 17:18:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court